[बी**.** आर**.** गवई और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य अधिनियम, 1872-कई मृत्यु घोषणाएँ-स्वीकार्यता, दंड संहिता, 1860 का साक्ष्य मूल्य -s.302-अपीलार्थी ने यू/एस को दोषी ठहराया।302 पी. डब्ल्यू.-9 (विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट) और पी. डब्ल्यू.-14 (आई. ओ.) द्वारा लिखित रूप में दर्ज मृतक की दो मृत्यु घोषणाओं पर भरोसा करके, मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी की हत्या करने और उसे आग लगाने के लिए और अन्य दो मौखिक होने और मृतक द्वारा पी. डब्ल्यू.-2 (उसके पिता) और पी. डब्ल्यू.-12 (मध्यस्थ जिसने पक्षों की शादी की व्यवस्था की थी) को सूचित किए जाने के लिए-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, मृत्यु की लिखित घोषणाओं को खारिज करते हुए, लेकिन पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-12 की गवाही को विश्वास दिलाते हुए-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःजिन मामलों में न्यायालय को पता चलता है कि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं मौजूद हैं, उनमें से प्रत्येक की सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए और खुद को संतुष्ट करने के बाद ही कि मृत्यु घोषणाओं में से कौन सी संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त प्रतीत होती है और स्वेच्छा से की गई है, क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए-हालांकि, यदि मृत्यु घोषणा कुछ दुर्बलता से ग्रस्त है, तो यह आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है-वर्तमान मामले में, एक बार जब उच्च न्यायालय ने उक्त बयान दर्ज करने में पीडब्लू-9 और पीडब्लू-14 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कई स्पष्ट खामियों के कारण मृतक की दो लिखित मृत्यु घोषणाओं को खारिज कर दिया, तो अपीलार्थी को पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 की मौखिक गवाही पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss.32, 60 – मृत्यु घोषणा -एस. 32, एस. में निहित सामान्य नियम का एक अपवाद।60 – आयोजित किया गयाःएस. 32 एस. में निहित सामान्य नियम का एक अपवाद है।60 वह 'सुनी ए'

साक्ष्य अस्वीकार्य है और केवल तभी जब ऐसा साक्ष्य प्रत्यक्ष होता है और प्रतिपरीक्षा के माध्यम से मान्य किया जाता है, तो इसे विश्वसनीय माना जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा-चर्चा की गई विश्वसनीयता।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** मृत्यु घोषणा अंतिम कथन है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आसन्न मृत्यु के कारण या उस स्थिति में आने वाली परिस्थितियों के बारे में दिया जाता है, एक ऐसे स्तर पर जब घोषणाकर्ता इस तथ्य से अवगत होता है कि उसके जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य है।इस धारणा पर कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण चरण में, एक व्यक्ति से सच बोलने की उम्मीद की जाएगी, अदालतों ने इस तरह के बयान की सच्चाई को बहुत महत्व दिया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **32** में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में, या उन परिस्थितियों में से किसी के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, तो मृत पीड़ित द्वारा गवाह को मौखिक या लिखित रूप में दिया गया ऐसा बयान एक प्रासंगिक तथ्य है और साक्ष्य में स्वीकार्य है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा **60** में निहित सामान्य नियम का एक अपवाद है कि 'सुनी-सुनाई गवाही अस्वीकार्य है' और केवल तभी जब ऐसा सबूत प्रत्यक्ष हो और प्रतिपरीक्षा के माध्यम से मान्य हो, तो इसे विश्वसनीय माना जाता है।मृतक द्वारा की गई कई मृत्यु घोषणाओं से जुड़े मामलों में, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि न्यायालय द्वारा उक्त मृत्यु घोषणाओं में से किस पर विश्वास किया जाना चाहिए और न्यायसंगत और वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कौन से मार्गदर्शक कारक होंगे।समस्या और भी जटिल हो जाती है जब मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणाएं विरोधाभासी पाई जाती हैं।ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, न्यायालय से यह उम्मीद की जाएगी कि वह यह पता लगाने के लिए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य भौतिक सबूतों द्वारा किन अंतिम घोषणाओं की पुष्टि की जा सकती है।समान महत्व की बात यह है कि संबंधित समय पर मृतक की स्थिति, रिकॉर्ड पर लाए गए चिकित्सा साक्ष्य जो मृतक की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं, करीबी रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों ने मृतक को प्रभावित/पढ़ाया है और अन्य सभी परिचर परिस्थितियाँ जो ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

865

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में सहायता करें।जिन मामलों में न्यायालय को पता चलता है कि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं मौजूद हैं, उनमें से प्रत्येक की सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए और केवल खुद को संतुष्ट करने के बाद कि मृत्यु घोषणाओं में से कौन सी संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त प्रतीत होती है और स्वेच्छा से की गई है, यदि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में, एक मृत्यु घोषणा की पुष्टि भौतिक साक्ष्य, नेत्र संबंधी या अन्यथा के साथ की जानी चाहिए।यह अधिक विवेक का नियम है कि अदालतें तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु घोषणा की पुष्टि की मांग करती हैं।इसी कारण से, डॉक्टर द्वारा एक प्रमाण पत्र कि उद्घोषक एक बयान देने के लिए उपयुक्त था, मृतक द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई को स्थापित करने के लिए सावधानी के नियम के रूप में माना जाता है।हालाँकि, यदि मृत्यु घोषणा किसी दुर्बलता से ग्रस्त है, तो यह अभियुक्त को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।उन परिस्थितियों में, अदालत को पीछे हटना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या किसी मामले में संचयी कारक उक्त मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना मुश्किल बनाते हैं।मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता भी कई मामलों में विचार के लिए सामने आई है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मजिस्ट्रेट एक अनिच्छुक गवाह और एक सम्मानित अधिकारी होने के नाते और यह संदेह करने के लिए कोई परिस्थिति या सामग्री नहीं है कि उसे आरोपी के खिलाफ कोई दुश्मनी होगी या वह किसी भी तरह से मृत्यु घोषणा गढ़ने में रुचि रखेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित ऐसी घोषणा पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।**[**पारस **11,15,19,22** और **25]** **[872-**जी**; 873-**ए-सी**; 875-**एफ-जी**; 876-**ए-सी**; 880-**सी-डी**; 882-**डी-एफ**]**

ग

डी.

ई.

नल्लापति सिवैया बनाम उप-विभागीय अधिकारी, गुंटूर,

च

आंध्र प्रदेश (2007) 15 एससीसी 465:[2007] 10 एससीआर

347; अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य **(2001) 6** एससीसी **407:[2001] 3** एस**.** सी**.** आर**. 218;** कुंडुला बाला सुब्रमण्यम और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, (1993) 2** एस**.** सी**.** सी**. 684:[1993] 2** एस**.** सी**.** आर**. 666;** सुधाकर बनाम मध्य राज्य

प्रदेश (2012) 7 एससीसी 569:[2012] 7 एससीआर 128;

जी.

पानीबेन **(**श्रीमती**)** बनाम गुजरात राज्य **(1992) 2** एस**.** सी**.** सी**. 474:[1992] 2** एस**.** सी**.** आर**. 197;** लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2010) 8 एससीसी 514:[2010] 9 एस. सी. आर. 705; अमोल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 5 एस. सी. सी. 468:[2008] 8

एससीआर **956;** शेर सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य

(2008) 4 एससीसी 265:[2008] 2 एस. सी. आर. 959; उत्तर राज्य

एच.

866 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

प्रदेश बनाम वीरपाल और दूसरा **(2022) 4** एस**.** सी**.** सी**. 741:2022 (2)** जे**.** टी**. 503;** खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य **(1974)**

4 एस**.** सी**.** सी**. 264-**पर निर्भर।

1.2 एस**.** ई**.** एम**. (**पी**.** डब्ल्यू**.-9)** और आई**.** ओ**. (**पी**.** डब्ल्यू**.-14)** द्वारा अंतिम घोषणाओं को दर्ज करते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कई खामियों को ध्यान में रखते हुए**,** उच्च न्यायालय ने उन पर भरोसा करना असुरक्षित पाया और उन्हें अलग रखा।चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दो लिखित मृत्यु घोषणाओं को कमियों से भरा पाते हुए खारिज करने के लिए वापस किए गए निष्कर्षों को कोई चुनौती नहीं दी गई है**,** इस प्रकार उन्हें अविश्वसनीय बना दिया गया है**,** इसलिए उनकी साख योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।यह कहना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अविश्वसनीय पाए जाने का हर कारण था।इसके बजाय**,** पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** की उपस्थिति में मृतक द्वारा की गई मौखिक मृत्यु घोषणाओं के मूल्य की जांच करना उचित माना जाता है।पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** की गवाही के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने मृतक द्वारा कथित रूप से उन्हें सुनाई गई बातों के अलग**-**अलग संस्करण प्रस्तुत किए हैं।उन दोनों ने कहा कि अपीलार्थी की लगातार दहेज की मांगों को पूरा करने में विफलता के कारण यह घटना हुई।अपीलार्थी के पड़ोस में एक विधवा के साथ अवैध संबंध का कोई उल्लेख नहीं था**,** जो मृतक और उसके पति के बीच लगातार झगड़े का कारण बना और घटना का कारण बना।विशेष रूप से**,** दोनों कथित गवाहों ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं किए गए थे और उन्होंने पहली बार तभी गवाही दी थी जब वे मुकदमे के दौरान गवाह कक्ष में प्रवेश कर चुके थे।एक बार उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय से असहमति जताई थी और पीडब्लू**-9** और आई**.** ओ**.** द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कई स्पष्ट खामियों के कारण मृतक की दो लिखित मृत्यु

घोषणाओं को खारिज कर दिया था। **(**पीडब्लू**-14)** उक्त कथन को अभिलिखित करने में**,** तब अपीलार्थी को पीडब्लू**-2,** मृतक के पिता और पीडब्लू**-12,** पारिवारिक मित्र की मौखिक गवाही पर अभ्यारोपित नहीं किया जा सकता था**,** जो दोनों इच्छुक गवाह थे और जिनके साक्ष्य पीडब्लू**-9** और पीडब्लू**-14** द्वारा दर्ज किए गए मृतक के संस्करणों के विपरीत हैं।यह याद रखना चाहिए कि सभी चार मृत्यु घोषणाएं**,** दो लिखित और अन्य दो मौखिक**,** मृतक द्वारा एक ही दिन**,** यानी **27** मार्च**, 1995** को अलग**-**अलग समय पर दिए गए बयानों पर आधारित थीं**,** जब वह **93** प्रतिशत जल गई थी और इस बारे में गंभीर संदेह है कि वह अपना बयान देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है।द ए**.**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

867

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

आई**.** ओ**. (**पी**.** डब्ल्यू**.-14)** ने पहली मृत्यु घोषणा दोपहर **3.20** बजे दर्ज की थी। इसके बाद एस**.** ई**.** एम**. (**पी**.** डब्ल्यू**.-9)** ने शाम **4:30** बजे से शाम **5** बजे के बीच दूसरी मृत्यु घोषणा दर्ज की। उसी दिन पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** ने भी अस्पताल में मृतक से मुलाकात की थी और दावा किया था कि उसने उन्हें सूचित किया था कि उसे कैसे जलने की चोटें आई थीं और अपीलार्थी को दोषी बताया था।पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** दोनों ने बयान दिया है कि मृतक ने अपनी मौखिक मृत्यु घोषणा में अपीलार्थी द्वारा उस पर की गई दहेज की मांगों और इस तथ्य का उल्लेख किया था कि उसे उसके चरित्र पर संदेह था**,** जिसके कारण कथित घटना हुई।उनकी गवाही में कहीं भी अभियोजन पक्ष के बयान का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी का पड़ोस में रहने वाली एक विधवा के साथ अवैध संबंध था**,** जो दंपति के बीच कटुता का मुख्य कारण था और जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई थी।कथित घटना के कारणों का पूरी तरह से अलग संस्करण पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** की पूरी गवाही पर छाया डालता है**,** जिससे उन पर भरोसा करना और अपीलार्थी को उसके खिलाफ बनाए गए आरोप के लिए अभ्यारोपित करना असुरक्षित हो जाता है।अभियोजन पक्ष पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** की गवाही का समर्थन करने के लिए प्रमुख विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्य के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करना मुश्किल है।पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-12** के साक्ष्य को अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त तारकीय नहीं माना जा सकता है।इसलिए**,** वह संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है। अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है।**[**अनुच्छेद **27,31,34,36-39] [883-B; 884-E-G; 886-A-C; 888-A-C]**

ग

डी.

ई.

अरुण भंडुदास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008)

च

11 एससीसी 232:2008 (1) जेटी 328; पूनम बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 6 एससीसी 145:2019 (5) जे. टी. 403-पर निर्भर।

रिजान और एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2003) 2**

एससीसी 661:[2003] 1 एससीआर 457; भगवान तुकाराम

जी.

डांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2014) 4** एस**.** सी**.** सी**. 270:[2014] 3** एस**.** सी**.** आर**. 753;** टी**.** रिमूख मरोती किरकान बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र (2006) 10 एससीसी 681:[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 156-संदर्भित।

एच.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2007] 10 एससीआर **347**

पर भरोसा किया

पैरा **7**

[2001] 3 एससीआर **218**

पर भरोसा किया

पैरा **7**

[2003] 1 एससीआर **457**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[2014] 3 एससीआर **753**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[2006] 7 पूरक।एससीआर **156**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

[1993] 2 एससीआर **666**

[2012] 7 एससीआर **128**

पर भरोसा किया

पैरा **13**

ग

[1992] 2 एससीआर **197**

पर भरोसा किया

पैरा **14**

[2010] 9 एससीआर **705**

पर भरोसा किया

पैरा **16**

[2008] 8 एससीआर **956**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

[2008] 2 एससीआर **959**

पर भरोसा किया

पैरा **18**

डी.

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2012 की आपराधिक अपील संख्या 485।

1997 की आपराधिक अपील संख्या 149 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 1 से।

ई.

रोहन थानवानी, प्रतुल प्रताप सिंह, सुश्री वंदना सहगल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय और आदेश इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली**,** जे**.**

1. वर्तमान अपील 26 जुलाई, 2010 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा नागपुर बेंच में पारित किए गए फैसले के खिलाफ निर्देशित है।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा 29 अप्रैल, 1997 के फैसले और नागपुर के 8 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जी.

1 संक्षेप में 'आई. पी. सी.' ए.

एच.

869

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

(एक हजार रुपये) और इसकी चूक में, तीन महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह है कि मृतक, पुष्पबाई और अपीलार्थी की शादी 19 मार्च, 1994 को हुई थी। शादी से कोई विवाद नहीं था।अपीलार्थी एक टी. वी. मैकेनिक था।यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी का उनके घर के पास रहने वाली एक विधवा कुसुम गायकवाड़ के साथ अवैध संबंध था।26 मार्च, 1995 को अपीलार्थी और कुसुम गायकवाड़ एक फिल्म देखने गए।जब वह शाम को घर लौटे, तो उनकी पत्नी ने कुसुम गायकवाड़ के साथ फिल्म देखने जाने पर उनका सामना किया।अपीलार्थी ने पुष्पबाई के साथ झगड़ा किया और उसे बताया कि कुसुम गायकवाड़ उसकी प्रेमिका थी।उसने पुष्पबाई को भी पीटा था।अगले ही दिन, यानी 27 मार्च, 1995 को सुबह से दोपहर के बीच, अपीलार्थी ने पुष्पबाई के साथ फिर से झगड़ा किया और उससे कहा कि वह कुसुम गायकवाड़ को नहीं छोड़ेगा।जब पुष्पबाई ने तलाक की मांग की, तो अपीलार्थी ने अपना आपा खो दिया और उस पर हमला कर दिया।इसके बाद, उसने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डाला और एक माचिस की छड़ी जलाकर उसे आग लगा दी।इस पर अपीलार्थी का भाई उस पर पानी डाल कर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा।पुष्पबाई के चेहरे, छाती, पेट, दोनों हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आईं।उन्हें इलाज के लिए नागपुर के मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 31 मार्च, 1995 को उन्होंने दम तोड़ दिया। 3.उपरोक्त घटना की जानकारी मेयो पुलिस बूथ, नागपुर द्वारा जांच अधिकारी 2 उप-निरीक्षक मधुखर गीते (पीडब्लू-14) को दी गई थी।आई. ओ. को सूचित किया गया कि सीमा के कारण पुष्पबाई को आग लग गई थी, यानी चूल्हे पर उसकी साड़ी का पल्लू गिरना, जहाँ वह नाश्ता बना रही थी।उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने पर, आई. ओ. ने स्टेशन डायरी में एक प्रविष्टि की और अस्पताल के लिए आगे बढ़े, जहाँ उन्होंने दोपहर 3.20 बजे दो पंचों (Ex.47) की उपस्थिति में पुष्पबाई का बयान दर्ज किया।मृतक की यह पहली मृत्यु घोषणा थी।लगभग एक घंटे के अंतराल में, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट 3 (पीडब्लू-9) द्वारा शाम 4:30 से 5 बजे (Ex.38) के बीच पुष्पबाई का बयान दर्ज किया गया। यह दूसरी मृत्यु घोषणा थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

4. 3 फरवरी, 1997 के आदेश के अनुसार, निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप तय किए गए थे। जैसे ही अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, मामले को सुनवाई के लिए ले जाया गया। अपनी ओर से अभियोजन पक्ष ने

2 संक्षिप्त 'एस. ई. एम.' के लिए संक्षिप्त 'आई. ओ.' 3

एच.

870

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

15 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें मृतक के पिता रामकृष्ण महादेव उचले (पीडब्लू-2); राजू लारोकर; एसईएम (पीडब्लू-9); समीर विजय चौधरी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर (पीडब्लू-10); डॉ. नरेश चंद्र सेठिया मेडिकल ऑफिसर; (पीडब्लू-11); बालाजी मोहोद (पीडब्लू-12), मध्यस्थ जिन्होंने पार्टियों की शादी की व्यवस्था की थी; प्रभाकर भाऊराव पाटिल पीएसआई (पीडब्लू-13); एसआई मधुखर गीते (पीडब्लू-14), जो आई. ओ. थे। ; और रुशी शियोंकर एपीआई (पीडब्लू-15)।पंद्रह गवाहों में से सात गवाह मुकर गए थे।29 अप्रैल, 1997 के फैसले के माध्यम से, अपीलार्थी को निचली अदालत ने अपनी पत्नी की मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने और उसे आग लगाने के लिए दोषी ठहराया था।उसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।अपीलार्थी को अपराध का दोषी ठहराने के लिए, निचली अदालत ने पीडब्लू-9 और पीडब्लू-14 द्वारा लिखित रूप में दर्ज मृतक की दो मृत्यु घोषणाओं और पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने बयान दिया कि मृतक ने उन्हें बताया था कि घटना कैसे हुई थी।

ग

5. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।हालाँकि दो लिखित मृत्यु घोषणाओं की सत्यता पर सवाल उठाने वाले अपीलार्थी की याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसमें पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 की गवाही के साथ-साथ मृतक के कपड़ों से संबंधित रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट और उन पर मिट्टी के तेल का पता लगाने वाले अपीलार्थी की गवाही को विश्वास दिलाया गया था, लेकिन निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।उक्त आदेश को अपीलार्थी ने वर्तमान अपील में चुनौती दी है।

डी.

ई.

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रोहन थानवानी ने इस आधार पर विवादित फैसले की आलोचना की है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने मृतक की दो लिखित मृत्यु घोषणाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें से एक आई. ओ. द्वारा दर्ज की गई है। (Ex.-47) और एस. ई. एम. (Ex.-38) द्वारा अभिलिखित अन्य, यह अभी भी मृतक द्वारा अपने पिता, रामकृष्ण महादेव उचले (पी. डब्ल्यू.-2) और मध्यस्थ, बालाजी मोहोद (पी. डब्ल्यू.-12) को की गई मौखिक मृत्यु घोषणाओं पर गलती से भरोसा करके सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ा है।विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पीडब्लू-9 और पीडब्लू-14 से पहले मृतक द्वारा दिए गए बयानों के बीच पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 के बयानों के विपरीत स्पष्ट भौतिक विरोधाभास थे क्योंकि पीडब्लू-9 से पहले मृतक ने दावा किया था कि अपीलार्थी और कुसुम गायकवाड़ (पीडब्लू-8) के बीच अवैध संबंध दंपति के बीच झगड़े का मूल कारण था, जबकि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 का संस्करण यह था कि ए

च

जी.

एच.

यह पूरी घटना अपीलार्थी द्वारा मृतक से की गई दहेज की माँग के कारण हुई थी।यह आगे तर्क दिया गया कि मृतक का संस्करण जैसा कि पहले और दूसरे लिखित मृत्यु घोषणाओं में दर्ज किया गया था, वह अदालत के समक्ष पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 द्वारा बताए गए बयान से पूरी तरह से अलग था।वास्तव में, न तो पीडब्लू-2 और न ही पीडब्लू-12 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 4 की धारा 161 के तहत पुलिस को कोई बयान दिया था और उक्त दोनों गवाहों ने पहली बार केवल तभी बयान दिए थे जब वे मुकदमे के दौरान गवाह बॉक्स में प्रवेश करते थे।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रचार किया गया कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने मृतक की लिखित मृत्यु घोषणाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त बयानों को दर्ज करने में कई विशिष्ट खामियां थीं, तो उच्च न्यायालय के लिए मृतक द्वारा पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 को कथित रूप से दिए गए मौखिक बयानों पर भरोसा करने का कोई उचित कारण नहीं था, जो समान रूप से अविश्वसनीय थे और इसलिए, मृतक की लिखित मृत्यु घोषणाओं के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ा।विद्वान वकील ने नल्लापति शिवैया बनाम उप-उप-अधिवक्ता का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी इस दलील को पुष्ट करने के लिए कि जहां कई मृत्यु घोषणाएं हैं और प्रत्येक एक दूसरे के साथ असंगत है, तो सभी उक्त मृत्यु घोषणाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर दिया जाना चाहिए।

ग

डी.

संभागीय अधिकारी**,** गुंटूर**,** आंध्र प्रदेश **5.**एक की अविश्वसनीयता

डॉक्टर की अनुपस्थिति में परिवार के एक सदस्य को दी गई मौखिक मृत्यु घोषणा पर अरविंद सिंह बनाम राज्य का हवाला देते हुए सवाल उठाए जाने की मांग की गई थी।

ई.

बिहार **6,** अरुण भंडुदास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य **7,** और पूनम बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **8**।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सचिन पाटिल-महाराष्ट्र राज्य ने अपनी सामान्य उग्रता के साथ, दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विवाद किया और कहा कि दोनों लिखित मृत्यु घोषणाएं, पहली आई. ओ. द्वारा दोपहर 3.20 बजे दर्ज की गई और दूसरी एस. ई. एम. (पी. डब्ल्यू.-9) द्वारा उसी दिन शाम 4:30 बजे दर्ज की गई, सुसंगत थीं और मृतक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह अपीलकर्ता था जिसने उसे आग लगा दी थी।उन्होंने मृतक के बयान दर्ज करने और तर्क देने से पहले उसके संबंध में उपस्थित डॉक्टर (पीडब्लू-10) द्वारा जारी किए गए दो फिटनेस प्रमाणपत्रों का भी संकेत दिया।

च

जी.

4 संक्षेप में 'Cr.PC' 5 (2007) 15 SCC 465 6 (2001) 6 SCC 407 7 (2008) 11 SCC 232 8 (2019) 6 SCC 145

एच.

872

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

कि उक्त प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि वह ठीक मानसिक स्थिति में थी और गवाही देने में सक्षम थी।इसी तरह, मृतक द्वारा उसके पिता (पीडब्लू-2) और मध्यस्थ (पीडब्लू-12) की उपस्थिति में बाद में की गई मौखिक मृत्यु घोषणाओं को भी पीड़ित के संस्करण के अनुरूप और विश्वास के योग्य बताया गया था।जिस तरीके से मृतक को आग लगाई गई थी, उसके बारे में कथन सुसंगत बताया गया था और यह तर्क दिया गया था कि उक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह से उपरोक्त पहलू पर अपीलार्थी के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं निकला।राज्य के विद्वान वकील ने मृतक और अपीलार्थी के कपड़ों के संबंध में रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे घटनास्थल से जब्त कर लिया गया था, यह आग्रह करने के लिए कि यह अभियोजन पक्ष के संस्करण को विश्वास दिलाता है कि अपीलार्थी ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला था और उसे आग लगा दी थी।

9. विद्वान राज्य के वकील ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरपाल का हवाला देते हुए कहा कि उनकी इस दलील के समर्थन में कि जहां परस्पर विरोधी मृत्यु घोषणाएं हैं, न्यायालय एक को स्वीकार कर सकता है और दूसरे को तब तक खारिज कर सकता है जब तक कि यह संतुष्ट हो कि मृतक का मूल बयान सुसंगत रहा है।

डी.

और अन्य **9,** रिज़ान और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **10** और भगवान तुकाराम डांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य **11**।त्रिमुख मरोटी किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य **12** में निर्णय का उल्लेख किया गया था

बता दें कि यह समझाने की जिम्मेदारी आरोपी पर बनी हुई है कि मौत सार्वजनिक दृष्टि से दूर, घर की गोपनीयता के भीतर कैसे हुई थी।10. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।वर्तमान मामले में पूरा मुद्दा मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणाओं की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य पर निर्भर करता है, जिनमें से दो पीडब्लू-9 और पीडब्लू-14 द्वारा लिखित और दर्ज किए गए थे और अन्य दो मौखिक थे और मृतक द्वारा पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 को सूचित किए गए थे।

ई.

च

11. मृत्यु घोषणा अंतिम कथन है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आसन्न मृत्यु के कारण या उस स्थिति में आने वाली परिस्थितियों के बारे में दिया जाता है, एक ऐसे स्तर पर जब घोषणाकर्ता इस तथ्य से अवगत होता है कि उसके जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य है।इस धारणा पर कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण चरण में, एक व्यक्ति से उम्मीद की जाएगी

जी.

9 (2022) 4 एससीसी 741 10 (2003) 2 एससीसी 661 11 (2014) 4 एससीसी 270 12 (2006) 10 एससीसी 681 ए

एच.

873

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

सच कहें तो अदालतों ने इस तरह के बयान की सच्चाई को बहुत महत्व दिया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 13 की धारा 32 में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में, या उन परिस्थितियों में से किसी के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, तो ऐसा बयान, मौखिक या लिखित रूप में मृतक पीड़ित द्वारा गवाह को दिया जाना, एक प्रासंगिक तथ्य है और साक्ष्य में स्वीकार्य है।यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में निहित सामान्य नियम का एक अपवाद है कि 'सुनी-सुनाई गवाही अस्वीकार्य है' और केवल तभी जब ऐसा सबूत प्रत्यक्ष हो और प्रतिपरीक्षा के माध्यम से मान्य हो, तो इसे विश्वसनीय माना जाता है।

ग

12. कुंडुला बाला सुब्रमण्यम और एक अन्य बनाम राज्य

आंध्र प्रदेश **14,** इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में मृत्यु घोषणा के महत्व पर प्रकाश डाला थाः

“18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) सामान्य नियम का एक अपवाद है कि सुनी-सुनाई गवाही स्वीकार्य सबूत नहीं है और जब तक सबूत का प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता है, तब तक यह विश्वसनीय नहीं है।धारा 32 के तहत, जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के कारण के बारे में या उन परिस्थितियों में से किसी के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होती है, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, तो ऐसा बयान,

मौखिक या लिखित रूप में, मृतक द्वारा गवाह को दिया जाना एक प्रासंगिक तथ्य है और साक्ष्य में स्वीकार्य है।मृतक द्वारा दिया गया बयान, जिसे मृत्यु घोषणा कहा जाता है, उस श्रेणी में आता है बशर्ते कि यह मृतक द्वारा स्वस्थ मानसिक स्थिति में किया गया हो।अपनी मृत्यु के कगार पर खड़े व्यक्ति द्वारा की गई मृत्यु घोषणा की एक विशेष पवित्रता होती है क्योंकि उस गंभीर क्षण में, किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत बयान देने की सबसे अधिक संभावना नहीं होती है।आसन्न मृत्यु की छाया अपने आप में मृतक द्वारा उसकी मृत्यु के कारणों या परिस्थितियों के बारे में दिए गए बयान की सच्चाई की गारंटी है।इसलिए, एक मृत्यु घोषणा, साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में, लगभग एक पवित्र स्थिति का आनंद लेती है, जैसा कि यह मृतक पीड़ित के मुंह से आती है।एक बार जब मरने वाले व्यक्ति का बयान और उसी की गवाही देने वाले गवाहों का सबूत अदालतों की सावधानीपूर्वक जांच के परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सबूत बन जाता है।

डी.

ई.

च

जी.

13 संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम' 14 (1993) 2 एस. सी. सी. 684

एच.

874

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मृत्यु घोषणा सत्य है और किसी भी अलंकरण से मुक्त है, तो ऐसी मृत्यु घोषणा, अपने आप में, किसी भी पुष्टि की तलाश किए बिना भी दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त हो सकती है।"

13. सुधाकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य **15** में**,** यह न्यायालय

उन्होंने राय दी थी कि एक बार मृत्यु घोषणा विश्वसनीय पाई जाने के बाद, यह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है और निम्नलिखित टिप्पणियां कींः“20. "मरने की घोषणा" किसी व्यक्ति द्वारा उस स्तर पर दिया गया अंतिम बयान है जब वह अपनी मृत्यु की गंभीर आशंका में होता है और अपने जीवित रहने की कोई संभावना की उम्मीद नहीं करता है।ऐसे समय में यह उम्मीद की जाती है कि कोई व्यक्ति सच बोलेगा और केवल सच बोलेगा।आम तौर पर ऐसी स्थितियों में अदालतें इस तरह के बयान को सच्चाई के आंतरिक मूल्य से जोड़ती हैं।एक बार जब ऐसा बयान स्वेच्छा से दिया जाता है, तो यह विश्वसनीय होता है और मृतक द्वारा सच्चाई को छिपाने या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास नहीं है, तो अदालतें सुरक्षित रूप से इस तरह की मृत्यु घोषणा पर भरोसा कर सकती हैं और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।इसके अलावा, जहां मृतक द्वारा मृत्यु घोषणा के रूप में दिए गए संस्करण का समर्थन और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है, वहां अदालतों के लिए इस तरह की मृत्यु घोषणा की सच्चाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।"

ग

डी.

14. पानीबेन **(**श्रीमती**)** बनाम गुजरात राज्य **16** में**,**

ई.

मृत्यु घोषणा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर कानून के पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला थाः

“18. .....(i) न तो कानून का शासन है और न ही विवेक का कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(मुन्नू राजा बनाम एम. पी. राज्य 17)

च

((ii) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है।(राज्य

यू. पी. वी.राम सागर यादव 18; रामावती देवी बनाम बिहार राज्य 19)।

((iii) इस न्यायालय को मृत्यु घोषणा की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा शिक्षण का परिणाम नहीं है।

जी.

15 (2012) 7 एससीसी 569 16 (1992) 2 एससीसी 474 17 (1976) 3 एससीसी 104 18 (1985) 1 एससीसी 552 19 (1983) 1 एससीसी 211 ए

एच.

875

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

प्रेरणा या कल्पना।मृतक के पास हमलावरों का निरीक्षण करने और उनकी पहचान करने का अवसर था और वह ऐसा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था

घोषणा।(के. रामचंद्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक 20)।

((iv) जहां मृत्यु घोषणा संदिग्ध है, उस पर बिना पुष्टि करने वाले साक्ष्य के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।(रशीद बेग बनाम राज्य

एमपी. 21)

(v) जहां मृतक बेहोश था और कभी भी मृत्यु की घोषणा नहीं कर सकता था, उसके संबंध में साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

(केक सिंह बनाम एम. पी. राज्य 22)

(vi) एक मृत्यु घोषणा जो दुर्बलता से ग्रस्त है, नहीं बन सकती है।

ग

विश्वास का आधार।(राम मनोरथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 23)

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु घोषणा में घटना के बारे में विवरण नहीं है, इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।(की स्थिति

महाराष्ट्र बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू 24)

(viii) समान रूप से, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त कथन है, इसे खारिज नहीं किया जाता है।इसके विपरीत, कथन की संक्षिप्तता ही

डी.

सच्चाई की गारंटी देता है।(सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य 25)।

(ix) आम तौर पर अदालत को यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, मृत्यु घोषणा करने के लिए चिकित्सा राय की जांच करने के लिए।लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि मृतक यह मृत्यु घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, चिकित्सा राय प्रबल नहीं हो सकती है।(नानाहाऊ राम

ई.

v. एम. पी. राज्य 26)।

(x) जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्यु घोषणा में दिए गए संस्करण से अलग है, वहां उक्त घोषणा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

च

पर।(यू. पी. राज्य बनाममदन मोहन 27)।

15. मृतक द्वारा की गई कई मृत्यु घोषणाओं से जुड़े मामलों में, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि उक्त मृत्यु घोषणाओं में से किस पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जाना चाहिए और क्या होगा

20 (1976) 3 एससीसी 618 21 (1974) 4 एससीसी 264 22 1981 सप्लीमेंट।एस. सी. सी. 25 23 (1981) 2 एस. सी. सी. 654 24 1980 पूरक।एस. सी. सी. 455 25 1980 पूरक।एस. सी. सी. 769 26 1988 पूरक।एस. सी. सी. 152 27 (1989) 3 एस. सी. सी. 390

जी.

एच.

न्यायसंगत और वैध निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मार्गदर्शक कारक बनें।समस्या और भी जटिल हो जाती है जब मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणाएं विरोधाभासी पाई जाती हैं।ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, न्यायालय से यह उम्मीद की जाएगी कि वह यह पता लगाने के लिए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य भौतिक सबूतों द्वारा किन अंतिम घोषणाओं की पुष्टि की जा सकती है।समान महत्व की बात यह है कि संबंधित समय पर मृतक की स्थिति, अभिलेख पर लाए गए चिकित्सा साक्ष्य जो मृतक की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं, करीबी रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों ने मृतक को प्रभावित/पढ़ाया है और अन्य सभी परिचर परिस्थितियाँ जो अदालत को अपने विवेक का प्रयोग करने में मदद करेंगी।

ग

16. लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य **28** में**,** जहाँ

मृतक को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था और आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे अस्पताल लाया गया था, अदालत ने देखा कि उसने दो अलग-अलग मृत्यु घोषणाएं की थीं और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः“9. मृत्यु घोषणा का सिद्धांत कानूनी में निहित है

डी.

मैक्सिम निमो मोरिटुरस प्रेसुमिटुर मेंटायर, जिसका अर्थ है "ए"

आदमी अपने निर्माता से उसके मुँह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा।मृत्यु घोषणा का सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (जिसे इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" कहा जाता है) में साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में निहित सामान्य नियम के अपवाद के रूप में स्थापित किया गया है, जो प्रदान करता है कि सभी मामलों में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए अर्थात यह एक गवाह का साक्ष्य होना चाहिए, जो कहता है कि उसने इसे देखा था।मृत्यु घोषणा, वास्तव में, एक व्यक्ति का बयान है, जिसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है और इसलिए, प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है।इस तरह के बयान कुछ मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैं।

ई.

च

10. इस न्यायालय ने बार-बार विभिन्न स्थितियों में दर्ज मृत्यु घोषणाओं की प्रासंगिकता/संभावित मूल्य पर विचार किया है और उन मामलों में भी जहां एक से अधिक मृत्यु घोषणा दर्ज की गई है।कानून यह है कि यदि अदालत संतुष्ट है कि मृत्यु घोषणा सच है और मृतक द्वारा स्वेच्छा से की गई है, तो दोषसिद्धि पूरी तरह से उस पर आधारित हो सकती है, बिना किसी और पुष्टि के। यह न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं किया जा सकता है।

जी.

28 (2010) 8 एससीसी 514 ए

एच.

877

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

जब मृत्यु की घोषणा संदिग्ध होती है, तो बिना पुष्टि करने वाले साक्ष्य के उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।अदालत को मृत्यु घोषणा की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा शिक्षण, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं है।घोषणा करने के लिए मृतक को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और हमलावरों की पहचान करनी चाहिए। केवल इसलिए कि मृत्यु घोषणा में घटना का विवरण नहीं होता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि केवल एक संक्षिप्त बयान है, तो यह इस कारण से अधिक विश्वसनीय है कि बयान की संक्षिप्तता स्वयं इसकी सत्यता की गारंटी है।यदि मृत्यु घोषणा किसी दुर्बलता से ग्रस्त है, तो यह अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्यु घोषणा में दिए गए संस्करण से अलग है, वहां उक्त घोषणा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

ग

(कुशल राव बनाम बॉम्बे राज्य 29, रशीद बेग बनाम एमपी राज्य 30, के. रामचंद्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक 31, महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू 32, उका राम बनाम राजस्थान राज्य 33, बाबूलाल बनाम एमपी राज्य 34, मुथु कुट्टी बनाम राज्य।35 , राजस्थान राज्य बनाम वाकटेंग 3,6 और शारदा बनाम राजस्थान राज्य 37 "।

डी.

17. अमोल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में **38,** जब सामना किया गया

विसंगतियों वाली दो अंतिम घोषणाओं के साथ, न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को संक्षेप में नीचे दिया गया थाः

ई.

“13. एक से अधिक मृत्यु घोषणा के रूप में साक्ष्य की सराहना से संबंधित कानून अच्छी तरह से तय किया गया है।तदनुसार, यह मृत्यु घोषणाओं की बहुलता नहीं है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता है जो अभियोजन मामले में वजन बढ़ाती है।यदि मृत्यु

घोषणा स्वैच्छिक, विश्वसनीय और स्वस्थ मानसिक स्थिति में पाई जाती है, तो बिना किसी पुष्टि के उस पर भरोसा किया जा सकता है।बयान पूरे समय सुसंगत होना चाहिए।यदि मृतक को इस तरह की मृत्यु घोषणा करने के कई अवसर मिले, अर्थात, यदि और भी हैं

च

29 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22 30 (1974) 4 एस. सी. सी. 264 31 (1976) 3 एस. सी. सी. 618 32 1980 एस. सी. सी. 455 33 (2001) 5 एस. सी. सी. 254 34 (2003) 12 एस. सी. सी. 490 35 (2005) 9 एस. सी. सी. 113 36 (2007) 14 एस. सी. सी. 550 37 (2010) 2 एस. सी. सी. 85 38 (2008) 5 एस. सी. सी. 468

जी.

एच.

878

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

एक से अधिक मृत्यु घोषणा वे सुसंगत होनी चाहिए।(कुण्डुला को देखें।

बाला सुब्रमण्यम बनाम ए. पी. राज्य 39) हालांकि, यदि कुछ

एक मृत्यु घोषणा और दूसरे के बीच विसंगतियां देखी जाती हैं, अदालत को विसंगतियों की प्रकृति की जांच करनी होती है, अर्थात्, वे भौतिक हैं या नहीं।विभिन्न अंतिम घोषणाओं की सामग्री की जांच करते समय, ऐसी स्थिति में, अदालत को आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में इसकी जांच करनी होती है।"

18. शेर सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य **40** के मामले में**,** यह न्यायालय

उन्होंने इस प्रकार कहा है:“16. मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता अधिक होती है क्योंकि घोषणा चरम सीमा में की जाती है।जब दल मृत्यु के कगार पर होता है, तो शायद ही कभी झूठ बोलने का कोई मकसद मिलता है और यही कारण है कि मृत्यु घोषणा के मामले में शपथ और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाता है।चूँकि अभियुक्त के पास जिरह की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अदालत इस बात पर जोर देगी कि मृत्यु घोषणा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिससे अदालत की सच्चाई और शुद्धता में पूरा विश्वास पैदा हो।अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान शिक्षण या उकसाने या कल्पना के परिणाम के रूप में नहीं था।अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह पता लगाना अदालत का काम है कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था और उसे अपराधी का निरीक्षण करने और उसकी पहचान करने का पर्याप्त अवसर मिला था।आम तौर पर, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा करती है कि क्या मृत्यु की घोषणा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, लेकिन जहां बयान दर्ज करने वाला व्यक्ति कहता है कि मृतक स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, चिकित्सा राय प्रबल नहीं होगी, और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषणा करने वाले के मस्तिष्क की योग्यता के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए मृत्यु की घोषणा स्वीकार्य नहीं है।आवश्यक बात यह है कि मरने की घोषणा दर्ज करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था।जहां मजिस्ट्रेट की गवाही से यह साबित होता है कि घोषणाकर्ता उस प्रभाव के लिए डॉक्टर की राय के बिना बयान देने के लिए उपयुक्त था, उस पर कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते कि अदालत अंततः इसे स्वैच्छिक मानती है और

ग

डी.

ई.

च

जी.

39 (1993) 2 एससीसी 684 40 (2008) 4 एससीसी 265 ए

एच.

879

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

सत्यवादी।डॉक्टर द्वारा एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है और इसलिए, एक बयान की स्वैच्छिक और सच्ची प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है।"

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिन मामलों में न्यायालय को पता चलता है कि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं मौजूद हैं, उनमें से प्रत्येक की सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए और केवल खुद को संतुष्ट करने के बाद कि मृत्यु घोषणाओं में से कौन सी संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त प्रतीत होती है और स्वेच्छा से की गई है, यदि इसे स्वीकार किया जाता है।जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में देखा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में मृत्यु घोषणा की पुष्टि भौतिक साक्ष्य, नेत्र संबंधी या अन्यथा के साथ की जानी चाहिए।यह अधिक विवेक का नियम है कि अदालतें तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु घोषणा की पुष्टि की मांग करती हैं।इसी कारण से, डॉक्टर द्वारा एक प्रमाण पत्र कि उद्घोषक एक बयान देने के लिए उपयुक्त था, को मृतक द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई को स्थापित करने के लिए सावधानी के नियम के रूप में माना जाता है।

ग

डी.

20. कुंडुला बाल सुब्रमण्यम (ऊपर) में, इस न्यायालय ने

यह मत व्यक्त किया कि यदि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएँ हैं, तो न्यायालय को यह पता लगाने के लिए उनमें से प्रत्येक की जांच करनी चाहिए कि क्या विभिन्न मृत्यु घोषणाएँ स्वीकार करने और उन पर भरोसा करने से पहले भौतिक विवरणों में एक-दूसरे के अनुरूप हैं।दिन के अंत में, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों पर किया जाना चाहिए।न्यायालय के समक्ष लाए गए साक्ष्य के मूल्यांकन पर कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है, जिसमें उस समय की आसपास की परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जब मृतक ने मृत्यु की घोषणा की थी।न्यायालय का ध्यान प्रक्रिया की स्वैच्छिकता सुनिश्चित करने पर है, इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई शिक्षण या प्रोत्साहन नहीं था, यह आश्वस्त होने पर कि मृत्यु की घोषणा करने से पहले मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था, यह सुनिश्चित करने पर है कि अभियुक्त की पहचान करने के लिए घोषणाकर्ता के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध था।21. वीरपाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु घोषणा पर बिना किसी अन्य पुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है और निम्नानुसार टिप्पणी की गई हैः

ई.

च

जी.

“16. अब, इस पहलू पर कि क्या किसी पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में, केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर एक दोषसिद्धि हो सकती है, जिसका संबंध मुन्नू राजा 41 में इस न्यायालय के निर्णय और पानीबेन बनाम राज्य में बाद के निर्णय से है।

एच.

41 (1976) 3 एससीसी 104

गुजरात के 42 को संदर्भित किया जाना आवश्यक है।उपरोक्त निर्णयों में, यह विशेष रूप से देखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न तो कानून का नियम है और न ही इस प्रभाव का विवेक है कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है।यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर अपनी दोषसिद्धि का आधार बना सकता है।यू. पी. राज्य बनाम में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।राम।

सागर यादव 43 और रामावती देवी बनाम बिहार राज्य 44.

इसलिए, पुष्टि के बिना केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है।"

22. हालाँकि, यदि मृत्यु घोषणा किसी दुर्बलता से ग्रस्त है, तो यह अभियुक्त को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।उन परिस्थितियों में, अदालत को पीछे हटना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या किसी मामले में संचयी कारक उक्त मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना मुश्किल बनाते हैं।इस संदर्भ में, नल्लापति शिवैया (उपरोक्त) का उल्लेख करना लाभदायक होगा, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

डी.

“46. अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करे।सन्देह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए।यह सच है कि मृत्यु घोषणा सबूत का एक ठोस टुकड़ा है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए बशर्ते यह साबित हो कि यह स्वैच्छिक और सच्चा था और पीड़ित मन की स्वस्थ स्थिति में था।फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर का साक्ष्य स्वैच्छिक और सच्चा बयान देने के लिए मृतक की स्थिति के संबंध में काफी संदेह पैदा करता है।यही कारण है कि डॉ. टी. नरसिम्हाराव, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे दोनों मृत्यु घोषणाओं को दर्ज करने के समय मौजूद थे, की गैर-जांच कुछ महत्व प्राप्त करती है।ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह कानून की आवश्यकता है कि जिस डॉक्टर ने पीड़ित की स्थिति के बारे में मृत्यु की घोषणा करने के लिए प्रमाणित किया है, उसकी हर मामले में जांच की आवश्यकता है।लेकिन यह अभियोजन पक्ष का दायित्व था कि वह मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उपलब्ध पुष्टिकारक साक्ष्य का नेतृत्व करे।

ई.

च

जी.

XXXX

XXXX

XXXX

42 (1992) 2 एससीसी 474 43 (1985) 1 एससीसी 552 44 (1983) 1 एससीसी 211 ए

एच.

52. मृत्यु घोषणा को आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई करना सुरक्षित रहे।मृत्यु घोषणा पर कार्रवाई करना सुरक्षित है या नहीं, यह न केवल मृत्यु घोषणा दर्ज करने वाले व्यक्ति की गवाही पर निर्भर करता है-चाहे वह मजिस्ट्रेट भी हो, बल्कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सामग्री और चिकित्सा साक्ष्य सहित परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रत्येक मामले में साक्ष्य और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ठीक से तौला जाना चाहिए।न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मृत्यु की घोषणा करने वाला व्यक्ति सचेत था और बयान देने के लिए उपयुक्त था, जिसके लिए न केवल मृत्यु की घोषणा दर्ज करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य, बल्कि चिकित्सा साक्ष्य और परिस्थितियों सहित अन्य साक्ष्य के संचयी प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

ग

23. अरविंद सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु घोषणा को सावधानी और सावधानी के साथ निपटाया जाना चाहिए और इसकी पुष्टि, हालांकि आवश्यक नहीं है, घोषणा के साक्ष्य मूल्य को मजबूत करने के लिए समीचीन है।जहाँ स्वतंत्र गवाह उपलब्ध न हो, वहाँ भी ऐसे कथन को विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सभी सावधानियाँ बरतनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, भले ही प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, लेकिन घटनाओं की श्रृंखला में एक विराम के बिना परिस्थिति स्पष्ट, मृत्यु घोषणा के साक्ष्य मूल्य में वजन जोड़ देगा।

डी.

ई.

24. उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत जहां अदालतें बिना पुष्टि के मृत्यु घोषणा को स्वीकार कर सकती हैं, उन्हें खुशाल राव (उपरोक्त) में व्यापक रूप से निपटाया गया है और तैयार संदर्भ के लिए, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“16. साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में तय किए गए मामलों की समीक्षा करने पर, हम मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की राय से सहमति जताते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि (1) यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है; (2) कि प्रत्येक मामले को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिनमें मृत्यु घोषणा की गई थी; (3) यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु घोषणा अन्य साक्ष्यों की तुलना में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है; (4) कि मृत्यु घोषणा उसी आधार पर खड़ी होती है जैसे कि

च

जी.

एच.

आसपास की परिस्थितियों के आलोक में और साक्ष्य के वजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में निर्णय लिया गया; (5) एक मृत्यु घोषणा जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से दर्ज की गई है, अर्थात, प्रश्नों और उत्तरों के रूप में, और जहां तक व्यावहारिक रूप से, घोषणा के निर्माता के शब्दों में, मृत्यु घोषणा की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करती है जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी दुर्बलताओं से पीड़ित हो सकती है, और (6) मृत्यु घोषणा

की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, न्यायालय को ध्यान में रखना होगा, उदाहरण के लिए, यदि रात में अपराध किया गया था तो क्या पर्याप्त प्रकाश था; क्या क्षमता है"

ग

डी.

25. मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता भी कई मामलों में विचार के लिए सामने आई है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मजिस्ट्रेट एक अनिच्छुक गवाह और एक सम्मानित अधिकारी होने के नाते और यह संदेह करने के लिए कोई परिस्थिति या सामग्री नहीं है कि उसे आरोपी के खिलाफ कोई दुश्मनी होगी या वह किसी भी तरह से मृत्यु घोषणा गढ़ने में रुचि रखेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित ऐसी घोषणा पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।मृत्युदंड की घोषणा के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की अनुपस्थिति कई मामलों में चर्चा का विषय रही है [संदर्भः

ई.

च

मुन्नू राजा **(**ऊपर**),** पानीबेन **(**श्रीमती**) (**ऊपर**),** राम सागर यादव **(**ऊपर**),** रामावती देवी **(**ऊपर**)** और वीरपाल **(**ऊपर**)]**।

26. मामले पर वापस आते हुए, इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि मृतक को 27 मार्च, 1995 को उसके घर पर गंभीर रूप से जलने की चोटें आई थीं।डॉ. नरेशचंद्र सेठिया (पीडब्लू-11), जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया था, ने कहा कि उनकी दोनों बाहों और पैरों, छाती, पेट, पीठ, सिर, गर्दन और चेहरे पर 93 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई हैं।उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मृत्यु का संभावित कारण उक्त जलने की चोटें थीं।

जी.

एच.

883

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

क.

27. अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए, निचली अदालत ने मुख्य रूप से मृतक की दो लिखित मृत्यु घोषणाओं पर भरोसा किया था, एक एस. ई. एम. (पी. डब्ल्यू.-9) द्वारा दर्ज की गई और दूसरी आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-14) द्वारा दर्ज की गई और मौखिक मृत्यु घोषणाएं जो मृतक द्वारा अपने पिता (पी. डब्ल्यू.-2) और बालाजी (पी. डब्ल्यू.-12), मध्यस्थ को दी गई थीं, जिन्होंने पक्षों के विवाह का निपटारा किया था।हालांकि, एस. ई. एम. (पी. डब्ल्यू.-9) और आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-14) द्वारा अंतिम घोषणाओं को दर्ज करते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कई खामियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने उन पर भरोसा करना असुरक्षित पाया और उन्हें अलग रखा।कारण देखने के लिए दूर नहीं हैं।

28. आई. ओ., सब-इंस्पेक्टर मधुखर गीते (पी. डब्ल्यू.-14) द्वारा दर्ज की गई पहली मृत्यु घोषणा पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से उस पर भरोसा करना मुश्किल पाया।

ग

(क) पीडब्लू-14 ने पुलिस स्टेशन में जो अनुरोध पत्र प्राप्त किया था, जिसमें कहा गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि मृतक को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 12.30 बजे चूल्हे पर नाश्ता तैयार करते समय उसकी साड़ी (पल्लू) के किनारे के जलते हुए चूल्हे पर गिरने के कारण आग लग गई थी, उसमें उस अस्पताल के नाम का उल्लेख नहीं था जहां मृतक को भर्ती किया गया था।उल्लेखनीय है कि उक्त मांग पत्र के आधार पर पीडब्लू-14 मृतक से मिलने और उसका बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल गई थी।

डी.

ई.

(ख) जिस स्रोत से पीडब्लू-14 को उपरोक्त जानकारी मिली थी, उसके बारे में अस्पष्टता थी और परीक्षण के दौरान उक्त अस्पष्टता को स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था;

(ग) पीडब्लू-14 ने उपस्थित चिकित्सक से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया ताकि उसका बयान दर्ज करने से पहले मृतक की शारीरिक और मानसिक स्थिति स्थापित की जा सके।

च

(घ) मृतक का बयान दर्ज किए जाने के समय डॉक्टर मौजूद भी नहीं था।

(ई) मृत्यु घोषणा को पीडब्लू-14 द्वारा एकांत में दर्ज नहीं किया गया था।बयान दर्ज करने के समय मृतक के रिश्तेदारों की उपस्थिति के कारण, मृतक को प्रेरित/पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

29. एस. ई. एम. (पी. डब्ल्यू.-9) द्वारा दर्ज की गई दूसरी लिखित मृत्यु घोषणा की अवहेलना करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ सामूहिक रूप से निम्नलिखित कारणों पर विचार किया गयाः

(क) उपस्थित चिकित्सक ने मृतक का बयान दर्ज करने से पहले पीडब्लू-9 की उपस्थिति में उसकी जांच नहीं की; (ख) मृतक का बयान डॉक्टर की अनुपस्थिति में पीडब्लू-9 द्वारा दर्ज किया गया था;

(ग) डॉक्टर ने पीडब्लू-9 की उपस्थिति में अनुरोध पत्र पर कोई समर्थन नहीं किया;

(घ) पीडब्लू-9 ने स्वयं मृतक का बयान दर्ज नहीं किया।इसके बजाय, उन्होंने यह कार्य पुलिस कांस्टेबल को सौंप दिया, जिसने मृतक के बयान को लिखित रूप में कम कर दिया।

ग

(ई) बयान को लिखित रूप में कम करने के बाद, उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने से पहले उसे मृतक को नहीं पढ़ा गया था;

डी.

(च) मृतक का बयान प्रश्न-उत्तर प्रारूप में दर्ज नहीं किया गया था।

30. उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की दो लिखित मृत्यु घोषणाओं को पूरी तरह से खारिज करने के लिए उपरोक्त दुर्बलताओं को पर्याप्त से अधिक माना गया था।

ई.

31. चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा दो लिखित मृत्यु घोषणाओं को कमियों से भरा पाते हुए उन्हें खारिज करने के लिए वापस किए गए निष्कर्षों को कोई चुनौती नहीं दी गई है, इस प्रकार उन्हें अविश्वसनीय बनाते हुए, हम उनकी साख योग्यता में तल्लीन होने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।यह कहना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अविश्वसनीय पाए जाने का हर कारण था।इसके बजाय,

पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 की उपस्थिति में मृतक द्वारा की गई मौखिक मृत्यु घोषणाओं के मूल्य की जांच करना उचित माना जाता है।

च

32. मृतक के पिता रामकृष्ण महादेव उचले (पीडब्लू-2) ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी के जलने का संदेश मिला था और उन्हें तुरंत मेयो अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें भर्ती कराया गया था।उन्होंने देखा कि मृतक को जलने की चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर है।उसने उससे पूछा कि यह घटना कैसे हुई जिस पर उसने कहा कि जब वह गेहूं का अनाज साफ कर रही थी, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलकर्ता घर आया था, उसे पीटा, मिट्टी का तेल ए डाला

जी.

एच.

885

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

उसके शरीर पर तेल लगाया और उसके हाथ बांधते हुए उसे आग लगा दी।पीडब्लू-2 ने अपदस्थ किया कि वर्ष 1994 में अपीलार्थी के साथ उसकी शादी के बाद, उसकी बेटी शिकायत करती थी कि अपीलार्थी पैसे की मांग के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और उसके चरित्र पर संदेह करता था।उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पारदी ग्राम पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पूछताछ के दौरान पीडब्लू-2 ने इस बात से इनकार किया था कि जांच के दौरान पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था।यद्यपि सहायक लोक अभियोजक को उपरोक्त पहलू पर पीडब्लू-2 की पुनः जाँच करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उक्त पुनः जाँच से कुछ भी सामग्री सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को जलाने के संबंध में लकड़गंज पुलिस द्वारा जाँच की गई थी।उल्लेखनीय है कि आई. ओ. उपनिरीक्षक मधुखर गीते (पीडब्लू-14) की व्यापक प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने पीडब्लू-2 का बयान दर्ज किया था, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-14 का सामना पीडब्लू-2 द्वारा अपीलार्थी द्वारा मृतक पर पैसे के लिए हमला करने या उसके चरित्र पर संदेह करने आदि से संबंधित किसी भी दावे से नहीं किया गया था। वास्तव में, अपनी बारी पर, पीडब्लू-14 ने इस तथ्य से इनकार किया था कि उसने पीडब्लू-2 का बयान दर्ज नहीं किया था।

ग

डी.

33. दूसरी मौखिक मृत्यु घोषणा मृतक द्वारा बालाजी (पीडब्लू-12) को की गई थी, जो मध्यस्थ थे जिन्होंने अपीलार्थी और मृतक के विवाह को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।हालाँकि उसने गवाही दी कि अपीलकर्ता ने शादी के बाद मृतक से नकदी और सोने की चेन सहित कई मांगें की थीं और वह उसे धमकी देता था कि अगर वह अपने माता-पिता से पैसे नहीं लाएगी, तो वह उसे पीटेगा, अपनी जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस के सामने ऐसा नहीं कहा था।पीडब्लू-12 ने आगे कहा कि वह पीडब्लू-2 के साथ अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मृतक से मिलने उसके घर गया था और उस समय, उसने शिकायत की थी कि अपीलार्थी उसे पीटता था और अनुरोध किया था कि उसे उसके माता-पिता के घर वापस ले जाया जाए।इसके बाद पीडब्लू-12 और पीडब्लू-2 ने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में अपीलार्थी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।उन्होंने आगे कहा कि मृतक को पंद्रह दिनों के लिए उसके माता-पिता के घर वापस लाया गया था।पंद्रह दिन बाद अपने वैवाहिक घर लौटने के बाद, पीडब्लू-12 ने दावा किया कि उसे एक चीट मिली थी जिसमें कहा गया था कि मृतक को आग लग गई थी और उसे मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया था।जब वह अस्पताल गया, तो मृतक ने उसे बताया कि जब वह गेहूं की सफाई कर रही थी, तो अपीलकर्ता घर आया था, उसके हाथों को रिबन से बांध दिया था और उसे अंदर ले गया था।इसके बाद, अपीलार्थी ने मृतक के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और एक माचिस की छड़ी जलाकर उसे आग लगा दी।

ई.

च

जी.

एच.

886

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

34. पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 की गवाही के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने मृतक द्वारा कथित रूप से उन्हें सुनाई गई बातों के अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किए हैं।उन दोनों ने कहा कि अपीलार्थी की लगातार दहेज की मांगों को पूरा करने में विफलता के कारण यह घटना हुई।अपीलार्थी के पड़ोस में एक विधवा के साथ अवैध संबंध का कोई उल्लेख नहीं था, जो मृतक और उसके पति के बीच लगातार झगड़े का कारण बना और घटना का कारण बना।विशेष रूप से, दोनों कथित गवाहों ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं किए गए थे और उन्होंने पहली बार तभी गवाही दी थी जब वे मुकदमे के दौरान गवाह कक्ष में प्रवेश कर चुके थे।35. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अरुण भानुदास पवार (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने एक इच्छुक गवाह की गवाही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जो पीड़ित की माँ थी, यह साबित करने के लिए कि पीड़ित की देखभाल करने वाले चिकित्सा अधिकारी सहित एक स्वतंत्र गवाह से कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि जब उसकी माँ अस्पताल में उससे मिली थी तो पीड़ित को होश आ गया था और उसने दो अन्य सहयोगियों के साथ आरोपी को हमलावर के रूप में नामित किया था।माँ की गवाही को अस्वीकार करने के लिए अदालत के लिए एक अतिरिक्त कारक यह था कि उसने धारा 161 Cr.P.C के तहत पुलिस द्वारा दर्ज अपने बयान में ऐसा नहीं कहा था और अदालत के समक्ष यह पहली बार था जब उसने ऐसा बयान दिया था।यह मानते हुए कि मृतक द्वारा की गई मौखिक मृत्यु घोषणा को सावधानी और सावधानी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि बयान देने वाले से कोई जिरह नहीं की जा सकती है, अदालत ने उच्च न्यायालय और निचली अदालत में गलती पाई कि उसने कथित रूप से मृतक द्वारा अपनी माँ, एक इच्छुक गवाह, को दी गई उक्त मौखिक मृत्यु घोषणा को स्वीकार कर लिया, जब यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि मृतक अपनी माँ को मौखिक घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था।पूनम बाई (ऊपर) में, इस न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण लिया गया था और यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः

ग

डी.

ई.

च

"16. जहाँ तक मौखिक मृत्यु घोषणा का संबंध है, अभिलेख पर साक्ष्य बहुत अस्थिर है, इस तथ्य के अलावा कि मौखिक मृत्यु घोषणा से संबंधित साक्ष्य अपने आप में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक ने ललिता साहू (पीडब्लू 2), पिलाराम साहू (पीडब्लू 3), पार्वती बाई (पीडब्लू 4) और अन्य लोगों के सामने मौखिक मृत्यु की घोषणा की थी।यद्यपि पीडब्लू 2,3 और 4 ने अपदस्थ किया है कि मृतक ने उनके समक्ष अपीलार्थी को शामिल करते हुए एक मौखिक मृत्यु घोषणा की थी, यह संस्करण स्पष्ट रूप से केवल एक विचार के बाद है, क्योंकि इसे ए के समक्ष लाया गया था।

जी.

एच.

887

उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

पहली बार ट्रायल कोर्ट।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने बयानों में, इन गवाहों ने मृतक की कथित मौखिक मृत्यु घोषणा से संबंधित कोई बयान नहीं दिया था।इन कारकों को निचली अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में नोट किया है।इस प्रकार, मौखिक मृत्यु घोषणा से संबंधित पीडब्लू 2,3 और 4 का साक्ष्य स्पष्ट रूप से एक बेहतर संस्करण है, और यह बचाव पक्ष द्वारा कानून के अनुसार साबित किया गया है।"

36. हमारी राय है कि एक बार उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय से असहमति जताई थी और एस. ई. एम. (पी. डब्ल्यू.-9) और आई. ओ. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कई स्पष्ट खामियों के कारण मृतक की दो लिखित मृत्यु घोषणाओं को खारिज कर दिया था। (पीडब्लू-14) उक्त कथन को अभिलिखित करने में, तब अपीलार्थी को पीडब्लू-2, मृतक के पिता और पीडब्लू-12, पारिवारिक मित्र की मौखिक गवाही पर अभ्यारोपित नहीं किया जा सकता था, दोनों इच्छुक गवाह थे और जिनके साक्ष्य पीडब्लू-9 और पीडब्लू-14 द्वारा दर्ज किए गए मृतक के संस्करणों के विपरीत हैं।यह याद रखना चाहिए कि सभी चार मृत्यु घोषणाएं, दो लिखित और अन्य दो मौखिक, मृतक द्वारा एक ही दिन, यानी 27 मार्च, 1995 को अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों पर आधारित थीं, जब वह 93 प्रतिशत जल गई थी और इस बारे में गंभीर संदेह है कि वह अपना बयान देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है।आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-14) ने पहली मृत्यु घोषणा दोपहर 3.20 बजे दर्ज की थी। इसके बाद एस. ई. एम. (पी. डब्ल्यू.-9) ने शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूसरी मृत्यु घोषणा दर्ज की। उसी दिन पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 ने भी अस्पताल में मृतक से मुलाकात की थी और दावा किया था कि उसने उन्हें सूचित किया था कि उसे कैसे जलने की चोटें आई थीं और अपीलार्थी को दोषी बताया था।

ग

डी.

ई.

च

37. पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 दोनों ने बयान दिया है कि मृतक ने अपनी मौखिक मृत्यु घोषणा में अपीलार्थी द्वारा उस पर की गई दहेज की मांगों और इस तथ्य का उल्लेख किया था कि उसे उसके चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण कथित घटना हुई।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनकी गवाही में कहीं भी अभियोजन पक्ष के संस्करण का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी का पड़ोस में रहने वाली एक विधवा के साथ अवैध संबंध था, जो दंपति के बीच कटुता का मुख्य कारण था और जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई थी।कथित घटना के कारणों का पूरी तरह से अलग संस्करण पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 की पूरी गवाही पर छाया डालता है, जिससे उन पर भरोसा करना और अपीलार्थी को उसके खिलाफ बनाए गए आरोप के लिए अभ्यारोपित करना असुरक्षित हो जाता है।हम हैं।

जी.

एच.

888

इसलिए यह राय कि अभियोजन पक्ष पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 की गवाही का समर्थन करने के लिए प्रमुख विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्य के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।

38. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य के आलोक में और कई मृत्यु घोषणाओं से संबंधित साक्ष्य की सराहना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करना मुश्किल लगता है।पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य को अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त तारकीय नहीं माना जा सकता है।इसलिए, वह संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है।

39. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।नतीजतन, अपीलार्थी को उसके खिलाफ बनाए गए आरोप से बरी कर दिया जाता है और किसी अन्य मामले के संबंध में यदि आवश्यक नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

ग

आदेश

डी.

अलग से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अपील की अनुमति है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नागपुर दिनांकित 29.04.1997 और उच्च न्यायालय दिनांकित 26.07.2010 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

ई.

अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है और किसी अन्य मामले के संबंध में यदि आवश्यक नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

च

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.